तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

24.05.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 19.06.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

19.06.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)</u>

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
162 / 2022	2022 / 470	21.12.2022	19.06.2023

उनवान प्रकरण

1. नेकीराम पुत्र पेमाराम आयु 57 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी धीरावाली तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

1. कालूराम पुत्र मांग्या उर्फ मांगूराम आयु 58 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी धीरावाली तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:36 IST
Reason: Self Attested

वाद पत्र बाबत उद्‌घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 काश्त. अधि. 1955)

19/06/23

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 से 925, 927 से 930, 933 से 936 कुल किता 15 कुल रकबा 6.63 हैक्टर तन ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसके 37/346 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं व 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं व कृषि भूमि खसरा नम्बर 893 से 898, 900 से 903 कुल किता 10 कुल रकबा 3.90 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर मे अवस्थित हैं। जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त वर्णित भूमियों के वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सह खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 आपस में एक परिवार से है तथा वादग्रस्त भूमियों के सहखातेदार दर्ज हिस्से अनुसार हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपनी भूमियों की काश्त की सुविधा के लिये भूमियों का आपस में समायोजन करके बंटवारा कर रखा हैं। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमियों मे उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 919 से 925, 927 से 930, 933 से 936 कुल किता 15 कुल रकबा 6.63 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर में वादी के नाम दर्ज 37/346 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा की भूमिया (इस प्रकार कुल 37/346 + 1/4 = 247/692 हिस्सा) वादी के हक में एवं अधिकार में मौके पर आयी हुयी हैं। जिसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इसमें दर्ज प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित हैं। इसी प्रकार उक्त वर्णित भूमि में दर्ज हिस्सा 1/2 जो वादी के नाम दर्ज हैं। मौके पर प्रतिवादी नम्बर 1 के हक हिस्से एवं अधिकार में मौके पर आई हुयी है। जिसकी खातेदारी वादी के बजाय प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है तथा इसमें दर्ज वादी का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित हैं। इसी अनुसार उद्घोषणा कराने का वादी कानूनन अधिकारी हैं। उक्त वर्णित भूमि अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज काश्त चले आ रहे हैं व उक्त भूमि में अपने पशु मवेशियान रखते हैं। वादी के कब्जा काश्त में आयी उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से होने से वादी अपनी उक्त भूमियों का भंली भांति रूप से विकास नही कर पा रहा हैं। वादी उक्तानुसार उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी हैं। उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अभाव में वादी अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। जिसके बाबत वादी को सख्त हकतल्फी हैं। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 को अपनी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम करवाने के लिए बार–बार कहता रहा व वादी को प्रतिवादी नम्बर 1 खातेदारी वादी के नाम करवाने का काफी समय से आश्वासन देता रहा लेकिन दिनांक 28.11.2022 को प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादी की उक्त भूमियों की खातेदारी वादी के नाम करवाने से स्पष्ट मना कर दिया व वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गया। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 से 925, 927 से 930, 933 से 936 कुल किता 15 कुल रकबा 6.63 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर वादी के नाम दर्ज 37/346 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा की भूमिया (इस प्रकार कुल 37/346 + 1/4 = 247/692 हिस्सा) अर्थात सम्पूर्ण भूमियों में 247/492

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
12/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार वादी को घोषित फरमाया जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 3 का रहन दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने तथा इसी अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 893 से 898, 900 से 903 कुल किता 10 कुल रकबा 3.90 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर में वादी के नाम दर्ज 1/2 हिस्से के बजाय प्रतिवादी नम्बर 1 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर उक्त भूमि से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 3 का नाम दर्ज रहन हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे वादी के हिस्से के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वयं करे ना दीगर से करावे ना ही जोर जबरन बेदखल करे ना जबरन कब्जा करने की कार्यवाही करें ना ही किसी अन्य से ऐसा करवायें तथा उक्त भूमि का दीगर किसी को किसी भी प्रकार से कोई अन्तरण विक्रय नहीं करें ना ही विक्रय लेख तस्दीक करावे ना ही किसी बैंक या वितिय संस्था में गिरवी एवं बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करें ना ही भूमि को खुर्द–बुर्द करे ना ही कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करे ना ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करवाये ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे वादी के विधिक हक हकूको पर विपरित असर पडता हो। वाद वास्ते उद्घोषणा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी [illegible]तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को [illegible] साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। वकील वादी ने [illegible]स्थित होकर पक्षकारान की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री सांवर मल महला एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढकर सुनाया गया। पक्षकारान ने सुन व समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में दानाराम, नेकीराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के द्वारा बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वकील वादी ने वादपत्र में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

6.. हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर सहखातेदार दर्ज होना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में एक ही परिवार से होकर उक्त भूमियों के सहखातेदार काश्तकार होना तथा अपने अपने हिस्से की भूमियों की काश्त की सुविधा अनुसार भूमियों का आपस में समायोजन करके बंटवारा किया जाना प्रकट होता है। जिसके खातेदारी अधिकार [illegible] करवाने हेतु प्रस्तुत वादपत्र का पेश किया जाना प्रतित होता है। जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की वादी साक्ष्य मे पेश दानाराम व नेकीराम के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रो से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यो की पुष्टि होती है। पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 06.01.2023 के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 से 925, 927 से 930, 933 से 936 कुल किता 15 कुल रकबा 6.63 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर में वादी के नाम दर्ज 37/346 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा की भूमिया (इस प्रकार कुल 37/346 + 1/4 = 247/692 हिस्सा) अर्थात सम्पूर्ण भूमियों में 247/492 हिस्से का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कि[illegible] नम्बर 3 का रहन दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कि[illegible] भूमि खसरा नम्बर 893 से 898, 900 से 903 कुल किता 10 कु[illegible] रकबा 3.90 हैक्टर तन् ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23

डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर में वादी के नाम दर्ज 1/2 हिस्से के बजाय प्रतिवादी नम्बर 1 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा उक्त भूमि से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा प्रतिवादी नम्बर 3 का नाम दर्ज रहन हजफ कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)